मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-9

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

गुरुवार, दिनांक 16 जुलाई, 2009 (आषाढ़ 25, 1931)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.31 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 21 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गए। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 98 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 85 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री पारस सकलेचा, सदस्य ने रतलाम के ट्रांसपोर्ट नगर हेतु जमीन का अधिग्रहण किये जाने.
(2) श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने श्योपुर के ग्राम दोलपुरा में मिट्टी खदान धंसकने से उत्पन्न स्थिति,
(3) श्री रामप्यारे कुलस्ते, सदस्य ने मंडला जिले के ग्राम मानीकसरा के नक्शे तथा खसरों की गड़बड़ी होने,
(4) श्री लक्ष्मण तिवारी, सदस्य ने रीवा जिले के हनुमना में जन-सुविधा न होने,
(5) श्री आरिफ अकील, सदस्य ने भोपाल के सुभाष नगर फाटक क्षेत्र के मैकनिकों को बेदखल किये जाने.
(6) श्री सुखदेव पांसे, सदस्य ने भोपाल के नरेला स्थित कृष्णानगर की गली में कांक्रीट कार्य न होने,
(7) श्री बिसाहूलाल सिंह, सदस्य ने भोपाल के कोटरा सुल्तानाबाद के खेल मैदान में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा होने,
(8) श्री उमाशंकर गुप्ता, सदस्य ने प्रदेश के कर्मचारियों को छठवें वेतनमान का लाभ न मिलने तथा
(9) श्री गिरिजाशंकर शर्मा, सदस्य ने होशंगाबाद सहित कई ग्रामीण क्षेत्रों में कच्ची शराब की बिक्री होने

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत की।

3. ध्यानाकर्षण

(1) सर्वश्री गोविन्द सिंह राजपूत एवं श्री अरूणोदय चौबे, सदस्यगण ने सागर नगर में एक अधिवक्ता की हत्या के दोषियों पर पुलिस द्वारा कार्रवाई न किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री जगदीश देवड़ा, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

(2) डॉ. गोविन्द सिंह एवं श्री ऐदल सिंह कंसाना, सदस्यगण ने मुरैना जिले के आगरा-मुम्बई राजमार्ग पर चम्बल नदी में बस गिरने से कई यात्रियों की मौत होने की ओर परिवहन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री जगदीश देवड़ा, परिवहन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री पारस दादा, सदस्य ने रतलाम जिले के -

(क) शहर में गणेश देवरी से नौलाई पुरा तक फुटपाथ को सीमेंटेड किये जाने,
(ख) शहर के कस्तूरबा नगर कालोनी की सड़क सीमेंटेड किये जाने,
(ग) शहर अन्तर्गत मथुरी में त्रिवेणी के आगे घोलावाड़ को पाईप लाईन से जोड़े जाने,
(घ) शहर के वार्ड नं. 48 में पेयजल समस्या के निदान हेतु नलकूप खनन किये जाने,
(ङ) शहर की कस्तूरबा कालोनी में पांच लाख गैलन पानी की टंकी का निर्माण किये जाने,
(च) जिला चिकित्सालय के मुख्य दरवाजे पर रेडक्रास की दवाई दुकान खोले जाने, तथा
(छ) शहर के अमृत तालाब में मिलने वाले गंदे नालों को रोककर किनारे पर पिकनिक स्थल बनाये जाने;

(2) श्री रमेश प्रसाद खटीक, सदस्य ने शिवपुरी जिले के -

(क) ग्राम सिरसौद में सूडेश्वर महादेव के बीच नदी पर रपटा बनाये जाने,
(ख) ग्राम जुगहा से डुमगना तक सड़क बनाये जाने,
(ग) कन्या हाईस्कूल मंगरौनी को कन्या इन्टर कालेज एवं कन्या माध्यमिक शाला दिवारा को हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने,
(घ) हस्सी डेम के वेस्ट वीयर पर पुल निर्माण किये जाने,
(ङ) ग्राम करैरा एवं नरवर तहसील में नवीन आई.टी.आई. प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने,
(च) नरवर से करैरा मार्ग का पुनः डामरीकरण किये जाने, तथा
(छ) ग्राम मंगरौनी की पुलिस चौकी को उन्नयन कर थाना बनाये जाने तथा

(3) श्री उमाशंकर गुप्ता, सदस्य ने भोपाल जिले के -

(क) जहांगीराबाद क्षेत्र की पुरानी गैस अदालत भवन में यूनानी चिकित्सालय के पास खाली भवन में आयुर्वेदिक चिकित्सालय शीघ्र खोले जाने, तथा
(ख) जहांगीराबाद क्षेत्र की बड़वाली मस्जिद और अहीरपुरा के आस-पास की मांस की दुकानें बंद कराने,

संबंधी याचिकाएं प्रस्तुत कीं।

5. प्रश्न के उत्तर में संशोधन संबंधी पर्यटन मंत्री का वक्तव्य

श्री तुकोजीराव पवार, पर्यटन मंत्री ने दिनांक 9 जुलाई, 2009 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 3 (क्रमांक 83) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य दिया।

6. अध्यक्षीय व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय द्वारा महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2009 एवं मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, 2009 के पुर:स्थापन हेतु श्रीमती अर्चना चिटनिस, उच्च शिक्षा मंत्री (भारसाधक मंत्री) का नाम पुकारा गया किन्तु उनकी अनुपस्थितिवश विधेयक पुर:स्थापित नहीं किये गये।

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा विधेयकों को प्रस्तुत करने की अनुमति मांगने पर अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि भारसाधक मंत्री द्वारा ही बाद में विधेयक पुर:स्थापित किये जाएंगे।

7. वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों पर मतदान ....(चर्चा का पुनर्ग्रहण)

श्री जयंत मलैया, आवास एवं पर्यावरण मंत्री के विभागों से संबंधित अनुदानों की मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री रत्नेश सॉलोमन
(2) श्री मोती कश्यप

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

(3) श्री के.पी. सिंह "कक्काजू"
(4) श्री विश्वास सारंग

(5) डॉ. गोविन्द सिंह
(6) श्री भगत सिंह नेताम
(7) श्री रामनिवास रावत
(8) श्री बृजमोहन धूत
(9) श्री ब्रजराज सिंह
(10) श्री ताराचंद बावरिया
(11) डॉ. कल्पना परुलेकर
(12) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह
(13) श्री आरिफ अकील
(14) श्री राजकुमार उरमलिया
(15) श्री लक्ष्मण तिवारी

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए।

(16) श्री शरद जैन
(17) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर
(18) श्री राधेश्याम नानालाल पाटीदार
(19) श्री बालाराम बच्चन
(20) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
(21) श्री अरूणोदय चौबे
(22) श्री रामखेलावन पटेल
(23) श्री सुनील जायसवाल
(24) श्री कुंवर सिंह टेकाम
(25) श्री ओमप्रकाश सकलेचा
(26) श्रीमती लक्ष्मीदेवी खराड़ी
(27) श्री प्रेमनारायण ठाकुर
(28) श्री प्रियव्रत सिंह
(29) श्री शिवमंगल सिंह तोमर
(30) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल
(31) श्री सुरेन्द्र सिंह गहरवार
(32) श्री रणजीत सिंह

श्री जयंत मलैया, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री कैलाश विजयवर्गीय, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को लेखानुदान द्वारा दी गई धन राशि के अतिरिक्त -

अनुदान संख्या - 11	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार के लिए एक सौ चार करोड़, तीन लाख, छियानवे हजार रूपये;
अनुदान संख्या - 28	राज्य विधान मण्डल के लिए चौबीस करोड़, अठहत्तर लाख, अठानवे हजार रूपये;
अनुदान संख्या - 46	विज्ञान और टेक्नालॉजी के लिए तेरह करोड़, बारह लाख, दो हजार रूपये;
अनुदान संख्या - 56	ग्रामोद्योग के लिए बयालीस करोड़, बयालीस लाख, पांच हजार रूपये;
अनुदान संख्या - 69	सूचना प्रौद्योगिकी के लिए उन्तीस करोड़, दस लाख, एक हजार रूपये तथा
अनुदान संख्या - 78	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण के लिए पचहत्तर करोड़, बारह लाख, उन्नीस हजार रूपये

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या - 11	7, 11, 13, 14
मांग संख्या - 28	1, 4
मांग संख्या - 46	3
मांग संख्या - 56	1, 2
मांग संख्या - 69	3
मांग संख्या - 78	2

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) डॉ. निशिथ पटेल

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

(2) श्री विश्वास सारंग
(3) श्री पारस सकलेचा
(4) श्री रामलखन सिंह
(5) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर
(6) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
(7) श्री गोविन्द राजपूत
(8) श्री मोतीलाल तिवारी
(9) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा
(10) श्री जीतू जिराती
(11) डॉ. गोविन्द सिंह
(12) श्री देवेन्द्र वर्मा

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए।

(13) श्री सुरेश चौधरी

श्री कैलाश विजयवर्गीय, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 7.22 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 17 जुलाई, 2009 (आषाढ़ 26, 1931) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक स्थगित की गई।

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.